पत्रांक-3ए-2-वे०पु०-02/2019../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग।

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय,
वीरचंद पटेल मार्ग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : ....

विषय :- दिनांक-01/01/2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना के अंतर्गत किसी वेतन स्तर में अधिकतम वेतन प्रक्रम प्राप्त हो जाने की स्थिति में गतिरोध वेतनवृद्धि (Stagnation Increment) के संबंध में।

महाशय,

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24/05/2017 के द्वारा दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प में किसी वेतन स्तर में अधिकतम वेतन प्रक्रम प्राप्त हो जाने की स्थिति में गतिरोध वेतनवृद्धि (Stagnation Increment) की अनुमान्यता के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है।

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3277, दिनांक-02/06/1999 के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि दिनांक-01/01/1996 से प्रभावी वेतनमान में यदि कोई सरकारी सेवक संबंधित वेतनमान के अंतर्गत अधिकतम वेतन प्रक्रम पर पहुँच जाता है तो प्रति दो वर्षो के लिए एक गतिरोध वेतन वृद्धि (अधिकतम तीन वेतन वृद्धि) संबंधित वेतनमान में प्रदान की जायेगी।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक-21/01/2010 की कंडिका-10 के द्वारा दिनांक-01/01/2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के संदर्भ में प्रावधान किया गया था कि यदि कर्मचारी वेतन बैण्ड के अधिकतम पर पहुँच गया हो तो उनका वेतन एक वर्ष पूरी होने पर अगले उच्चतर वेतनमान में निर्धारित होगा। उच्चतर वेतन बैण्ड में वेतन निर्धारित करते समय एक वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा।

3. पूर्व के प्रावधानों को दृष्टिपथ में रखते हुये सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि दिनांक-01/01/2016 से प्रभावी वेतन संरचना के अंतर्गत किसी वेतन स्तर में अधिकतम वेतन प्रक्रम प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित कर्मी को प्रति दो वर्षो

के लिए एक गतिरोध वेतन वृद्धि (अधिकतम तीन वेतन वृद्धि) संबंधित वेतन स्तर में प्रदान की जायेगी, जो मूल वेतन के 3% के आधार पर पूर्णांकित कर परिगणित किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-02/2019 -**................/वि०** पटना, दिनांक-**..................**

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-02/2019 -2132**/वि०** पटना, दिनांक-28/02/19

प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग /अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा / सिस्टम एनालिस्ट / प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।